

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि पत्र

संयुक्त संख्या- 3/विधि-01-02/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026
विभागीय अधिसूचना सं० 780(3) दिनांक 26.12.2025 में अंकित टकण त्रुटि को निम्नरूपेण संशोधन किया
जाता है

क्र० सं०	अधिसूचना का क्रमिक	अधिसूचना में अंकित अश	संशोधन प्रस्ताव
1	2	3	4
(1)	क्रमांक-18 का संलग्न-06	“दिनांक 01.02.2026 से प्रभावी”	“दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी”

2 उक्त अधिसूचनाओं के शेष भाग यथावत रहेगे।

3 प्रस्ताव में संशोधन प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

आपाक

116(3)

/स्वा०,

पटना,

दिनांक

31/01/26

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य
सुरक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि. संबंधित प्रमडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य
सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार
पदाधिकारी/संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि: संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर
मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी
पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, 16, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू० लिड/डाटा एनॉलिरट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी